उत्तराखण्ड वन विकास निगम

शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक

अरण्य विकास भवन, 73-नेहरू रोड, देहरादून, दूरभाष :-0135-2657610, फैक्स :-0135-2655488

****

पत्रांक-वि- 267 **/16-4/डिपो प्रबन्ध** **दिनांक** 12 **अप्रैल, 2016**

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र),
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
~~हल्द्वानी~~। देहरादून ।

विषय :- **वन निगम के प्रकाष्ठ डिपुओं का किराया निर्धारण।**

सन्दर्भ :- **मुख्य वन संरक्षक (कार्ययोजना), हल्द्वानी का पत्रांक-मेमो/देहरादून-1/कैम्प देहरादून, दिनांक 08.4.16**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से देहरादून वन प्रभाग के अंतर्गत बड़कोट रेंज की गोला कक्ष सं0-8 व जाखन कक्ष सं0-1 में आवंटित 10 हैक्टेयर वन भूमि के किराया/लीज रेंट के सम्बन्ध में शासन का पत्रांक-7508/14-2-93 -130 /1977/दिनांक 11.04.1994 उपलब्ध कराया गया है। शासन के इस पत्र द्वारा डिपो का लीज रेंट रू0 1000/- प्रतिवर्ष प्रति हैक्टेयर निर्धारित है। इस सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश की प्रति, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम के पत्र सं0-6837/दिनांक 10.01.1994 की प्रति दिनांक 25.11.1992 की बैठक कार्यवृत्त सहित संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आप उपरोक्तानुसार आवंटित वन भूमि में तत्काल प्रकाष्ठ विक्रय डिपो तत्काल संचालित कराएं एवं शासनादेश के अनुरूप लीज रेंट का भुगतान किया जाए।

संलग्नक :- यथोपरि (5)

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :- निम्न को उपरोक्त संदर्भित पत्र शासनादेश एवं उ0प्र0वन निगम की पत्र सं0-6837/दिनांक 10.01.1994 तथा बैठक कार्यवृत्त दिनांक 25.11.1992 की प्रति सहित संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. **महाप्रबंधक (उत्पादन/कुमाऊँ)**, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून/हल्द्वानी।
2. **क्षेत्रीय प्रबन्धक (गढ़वाल/कुमाऊँ/पश्चिमी क्षेत्र)**, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कोटद्वार/हल्द्वानी /रामनगर।
3. **लेखाधिकारी**, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, मुख्यालय, देहरादून।
4. **आन्तरिक सम्परीक्षाधिकारी, मुख्यालय**, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
5. **प्रभारी, आई0टी0सेल, मुख्यालय**, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
6. **प्रति (i) शिविर पत्रावली**
   (ii) गार्ड फाईल

संलग्नक :- यथोपरि (5)

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

D:/Planning/16-5

जोशी S.K.

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (कार्ययोजना), उत्तराखण्ड, हल्द्वानी

पत्रांकः मेमो (देहरादून-11) / कैम्प-देहरादून   दिनांकः 8, अप्रैल 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून।

उ0व0वि0नि0, शिविर कार्यालय, देहरादून।
प्राप्ति क्र0 389 दिनांक 08-04-16

अधि0	विधि	ई0पी0एफ0	नियोजन
लेखा	शिविर	आर0टी0आई0	विपणन
ऑडिट	भण्डार	भवन प्रभारी	खनन
पी0एस0			

MD/GM/RM/OS

विषय :- *वन निगम के डिपो के किराया निर्धारण।*

सन्दर्भ:- *आपका पत्रांक 1266/12-2 देहरादून दिनांक 12 जनवरी 2016*

महोदय,

आपके पास शासन का पत्रांक 7508/14-2-93-130/1977 दिनांक 11-04-1994 भेजी जा रही है। अतः तदोनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ए.आर. सिन्हा)
मुख्य वन संरक्षक
कार्ययोजना

Index / A.O.
प्र.प्र. नि/2
8/4/16

पत्रांकः   /   / दिनांकित

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
2. महाप्रबन्धक (उत्पादन) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी ।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।

मुख्य वन संरक्षक
कार्ययोजना

संख्या:7508/14-2-93-930/1977.

प्रेषक,

श्री प्रमोद कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
प्रशासन एवं नियोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक: / अप्रैल, 1994.

विषय:- उत्तर प्रदेश वन निगम से डिपो के लीज रेन्ट की वसूली।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:131/11-24, दिनांक:24-11-1993 के सन्दर्भ में तथा शासकीय पत्रांक:4543/14-3-400(241)/92, दिनांक:15-10-1992 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 वन निगम को डिपो के स्थापनार्थ लीज पर दी गई वनभूमि का वार्षिक किराया रुपये 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर की दर से वसूल किया जाये। यह वसूली दिनांक: 30-11-1992, जब तक का रुपये 500/- प्रति हेक्टेयर, प्रतिवर्ष की दर से भुगतान किया जा चुका है, के बाद से लागू मानी जायेगी।

2- कृपया इस मामले में तदनुसार उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:ई-8-1425/दस-1994, दिनांक: 6-4-1994 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या:7508(1)/14-2-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, सेक्टर-18/443, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-8.

(प्रमोद कुमार)
संयुक्त सचिव।

(कुमाऊं क्षेत्र)
नैनीताल
15/4/94
347

FROM :   FAX NO. :   8 Apr. 2016 12:10PM P2

(2)

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, 18/448, इन्दिरानगर, लखनऊ ।

पत्रांक ए- 6637 /डिपो लीजरेंट,   दिनांक: जनवरी, 1994

सेवा में,

1- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
2- समस्त प्रभागीय लौगिंग/विक्रय प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश वन निगम ।

विषय: उत्तर प्रदेश वन निगम के लिए डिपो लीजरेंट की दरों का निर्धारण ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश वन निगम के लिए डिपो लीजरेंट की दरों के निर्धारण विषयक प्रमुख वन संरक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक ए-993/11-34, दिनांक 24.12.93 की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है । इस पत्र द्वारा डिपो का लीजरेंट निम्नप्रकार अनन्तिम रूप से निर्धारित किया गया है :-

1-	नवम्बर 1992 की अवधि से पूर्व की अवधि तक	रु.500/- प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष अथवा वन संरक्षकों द्वारा स्वीकृत लीजरेंट, इसमें जो भी अधिक हो ।
2-	नवम्बर 1992 के पश्चात की अवधि	रु.1000/- प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि उक्त दरों पर डिपो के लीजरेंट का भुगतान सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि किसी भी डिपो में आवश्यकता से अधिक भूमि न हो । आवश्यकता से अधिक भूमि को तत्काल वन विभाग को वापस कर दिया जाय ।

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्तानुसार ।

(ए. पी. मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या ए- 6637 /(1) तद्दिनांक । 10-1-94

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता, उत्तर प्रदेश वन निगम लखनऊ ।
2- विपणन प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ ।
3- आन्तरिक लेखापरीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार ।

(ए. पी. मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

... हल्द्वानी
... 2951
... 17/1/94

(6)

वन निगम के डिपो हेतु वन भूमि के किराये निर्धारण के सम्बन्ध में दिनांक 25.11.1992 को हुई बैठक का कार्यवृत्त :-

उपस्थिति :-

(1) श्री जे०एन०श्रीवास्तव, मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), उ०प्र०, लखनऊ ।
(2) श्री पी०सी०श्रीवास्तव, महाप्रबन्धक, उ०प्र०वन निगम, लखनऊ ।
(3) श्री के०एन०सिंह, वन संरक्षक, मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
(4) श्री मती वीना शेखरी (मुख्य वन संरक्षक, मध्य क्षेत्र के सहायक)

जब से वनों में कटान कार्य आरम्भ किया गया ठेकेदारों को वन
क्षेत्र में डिपो बनाने की निः शुल्क सुविधा वन विभाग द्वारा प्रदान की जाती
रही है । वर्ष 1974 में ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो जाने के फलस्वरूप वृक्षों का
कटान एवं प्रकाष्ठ निस्तारण का कार्य उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा किया जाने
लगा । अतः डिपो स्थापना के लिये पूर्व की भाँति उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा
वन भूमि हेतु निवेदन किया गया । वन विभाग द्वारा डिपो स्थापना के लिये
आवश्यकतानुसार वन निगम को भूमि उपलब्ध कराई जा रही है ।

2\. उक्त वन भूमि की किराये की बात भी प्रभागीय वनाधिकारियों
द्वारा उठायी गयी प्रत्येक प्रभाग में अलग-अलग दरों पर डिपो का किराया वन
निगम द्वारा दिया जा रहा है । दक्षिणी लखीमपुर-खीरी द्वारा मामला उठाये जाने पर शासनादेश
संख्या 456/14-3-942/76, दिनांक 24.6.76 द्वारा शासन ने यह आदेश दिया
कि पट्टे पर दी जाने वाली भूमि का किराया वर्तमान चालू दर के दो गुना दर
से लिया जाय । यह दर निजी व्यक्तियों/संस्थानों, सरकारी तथा सार्वजनिक
विभागों पर भी लागू था । इसके विरुद्ध वन विभाग द्वारा हल्द्वानी, टनकपुर व
रामनगर में भूमि के मूल्य का 10% किराया वसूल किया गया । किराये की समान
दर लागू न होने के कारण अनेक स्थान पर विसंगतियाँ उत्पन्न हो गयी क्योंकि
कहीं पर किराया अत्यधिक हो गया तथा कहीं कम हो गया । परिणामस्वरूप
आडिट द्वारा समय-समय पर आपत्तियाँ उठायी जाने लगी ।

3\. उक्त विसंगतियों को दूर करने के लिये यह मामला उत्तर प्रदेश
वन निगम द्वारा शासन को संदर्भित किया गया । अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल की
पत्र संख्या 1578/32-9(2), दिनांक 15.9.77, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन
निगम, के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 771/डिपो/जनरल, दिनांक 23.11.77 तथा पत्रांक
11/डिपो/जनरल, दिनांक 24.5.79 द्वारा शासन को इस विषय में निदेश शीघ्र
निर्गत करने के लिये निवेदन के साथ यह भी सूचित किया कि तदर्थ रूप से अभी
तक वन निगम द्वारा रु० 500.00 प्रति हेक्टेयर की दर से वार्षिक किराया दिया
जा रहा है ।

........2/-

उक्त परिपेक्ष्य में प्रमुख वन संरक्षक द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को सुसंगत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये यह बैठक आहूत की गयी है ।

4. विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह संस्तुति की जाती है कि उत्तर प्रदेश वन निगम को उनके डिपो की आवश्यकतानुसार वन विभाग निम्न शर्तों पर उपलब्ध कराता रहे :-

§1§ उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा वन विभाग को डिपो भूमि के लिये रु० 1000.00 प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष की दर से किराया दिया जायेगा ।

§2§ डिपो हेतु वन भूमि 10 वर्ष की अवधि के लिये दी जायेगी । तदोपरान्त आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा ।

§3§ डिपो भूमि का किराया 5 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश वन निगम तथा वन विभाग के बीच आपसी बातचीत द्वारा पुनरीक्षित किया जायेगा ।

§4§ वन निगम द्वारा उक्त भूमि पर तारबाड़, हैण्डपम्प लगाने, वृक्षारोपण तथा अन्य भूमि विकास सम्बन्धी कार्य आवश्यकतानुसार अपने व्यय पर किये जायेंगे ।

§5§ डिपो में कर्मचारियों को रहने के लिये अस्थायी आवास का निर्माण किया जा सकता है ।

§6§ डिपो का प्रयोग प्रकाष्ठ भण्डारण, आरामशीन की स्थापना, तथा कर्मचारियों के आवास के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन में नहीं लाया जायेगा ।

§7§ प्रयोजन के उपरान्त यह वन भूमि बिना किसी मुआवजे के वन विभाग को प्रत्यावर्तित कर दी जायेगी ।

§श्रीमती वीना शेखरी§ मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र के सहायक	§के०एन० सिंह§ वनसंरक्षक मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ	§पी०सी० श्रीवास्तव§ महाप्रबन्धक उ०प्र० वन निगम लखनऊ	§जे०एन० श्रीवास्तव§ मुख्य वन संरक्षक प्रशासन उ०प्र०, लखनऊ

केडी/ 26.11.